



MP - PSC

राज्य सिविल सेवा

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

भाग – 5

**मध्यप्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था,
जनजातियाँ एवं ICT**




विषयसूची

| S No. | Chapter Title | Page No. |
|-------|---|----------|
| 1 | मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था | 1 |
| 2 | मानवीय संसाधनों का विकास स्वास्थ्य, शिक्षा और कौसल विकास | 28 |
| 3 | मध्य प्रदेश में स्थानीय सरकार | 36 |
| 4 | मध्यप्रदेश में सुशासन | 41 |
| 5 | भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यप्रदेश की वर्तमान स्थिति | 50 |
| 6 | सतत विकास लक्ष्य | 53 |
| 7 | मध्यप्रदेश में एमएसएमई | 56 |
| 8 | मध्यप्रदेश में अधोसंरचना का विकास | 58 |
| 9 | आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश और एक जिला एक उत्पाद | 61 |
| 10 | मध्यप्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई.पी. आर.) की प्रगति | 66 |
| 11 | मध्यप्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान | 68 |
| 12 | मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ | 70 |
| 13 | म. प्र. की विशेष पिछऱ्ही जनजातियाँ | 77 |
| 14 | मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति परम्पराएँ, विशिष्ट कलाएँ, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य | 82 |
| 15 | मध्यप्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान | 87 |
| 16 | मध्यप्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन। | 91 |
| 17 | मध्यप्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य | 93 |
| 18 | कंप्यूटर की मूल अवधारणा | 102 |
| 19 | क्लोनिंग, रोबोट्स, कृत्रिम बुद्धिमता | 115 |
| 20 | इंटरनेट एवं संचार | 122 |
| 21 | सोशल मीडिया | 132 |

1 अध्याय

मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था



राज्य विधायिका

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168-177 राज्य विधानमंडल से संबंधित हैं।
- मध्य प्रदेश में एक सदनीय राज्य विधानमंडल (विधानसभा) है।

राज्य में विधानमंडल का विकास

- वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद वर्ष 1957 में विधानसभा का गठन किया गया था।
- विधानसभा के सदस्यों की प्रारंभिक संख्या 288 थी, जिसमें 43 सीटें अनुसूचित जाति और 54 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थीं।
- वर्ष 1976 में विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 296 कर दी गई जबकि वर्ष 1999 में इसे और बढ़ाकर 320 कर दिया गया। 2000 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन और छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद, मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या घटकर 230 हो गई, जिसमें से 148 सदस्य अनारक्षित/सामान्य वर्ग से, 35 सदस्य अनुसूचित जाति से तथा 47 सदस्य अनुसूचित जनजाति से चुने जाते हैं।
- इसके अलावा, अनुच्छेद 333 के तहत, एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। इस प्रावधान को 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया।

| मध्य प्रदेश में राज्य विधान सभा सदस्यों की संख्या | | |
|---|-----------------------------|------------------|
| वर्ष | विधानसभा निर्वाचित + मनोनित | आरक्षित |
| 1957 | 288 | 43 (SC), 54 (ST) |
| 1976 | 296 | |
| 1999 | 320 | |
| 2000 | 230+1=231 | 35 (SC), 47 (ST) |
| राज्य विधानसभा | | |
| राज्यपाल | | विधानसभा |

मध्य प्रदेश के राज्यपाल

संवैधानिक प्रावधान

- उल्लेख - भारत के संविधान के **अनुच्छेद 153 से 161** तक
- भाग - भारत के संविधान का **भाग VI**
- राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

| अनुच्छेद | प्रावधान |
|----------|---|
| 153 | राज्य के राज्यपाल |
| 154 | राज्य की कार्यकारी शक्ति |
| 155 | राज्यपाल की नियुक्ति |
| 156 | राज्यपाल का कार्यकाल |
| 157 | राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता |
| 158 | राज्यपाल कार्यालय की शर्तें |
| 159 | राज्यपाल द्वारा शापथ और प्रतिज्ञान |
| 160 | कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। |
| 161 | क्षमा आदि प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने के लिए प्रावधान। |

संवैधानिक स्थिति

- **दोहरी भूमिका-**
 - राज्य सरकार के **संवैधानिक प्रमुख**।
 - केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक **कड़ी**।
- एक राज्य के **कार्यकारी नेता** के रूप में।
- राज्य के **सीओएम** राज्य के **मंत्रि-परिषद्** की सिफारिश पर काम करता है।
- राज्य की सभी कार्यकारी गतिविधियों को औपचारिक रूप से **राज्यपाल** के नाम पर संपन्न किया जाता है।
- **राष्ट्रपति** के **मनोनीत** व्यक्ति के रूप में राज्य में **केंद्र** का **प्रतिनिधित्व** करता है।
- राज्य और केंद्र के बीच **संचार** और बातचीत के एक चैनल के रूप में कार्य करता है।
- केंद्र को राज्य की गतिविधियों से अपडेट रखने की जिम्मेदारी।

राज्यपाल की नियुक्ति

- **राष्ट्रपति** द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- **अनुच्छेद 153-** प्रत्येक राज्य का अपना **राज्यपाल** होना चाहिए।
- **7वाँ संशोधन अधिनियम 1956-** एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में **एक ही व्यक्ति** की नियुक्ति।
 - वह एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हुए अलग-अलग राज्यों के **सीओएम** की सिफारिशों पर कार्य करता है।

योग्यता

- राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए, एक व्यक्ति
 - **भारत का नागरिक** होना चाहिए।
 - **35 वर्ष** की आयु पूरी कर ली हो।

- इसके अलावा, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में दो परंपराएँ हैं-
 - वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया गया है।
 - वह उस राज्य के **मुख्यमंत्री** से परामर्श करता है जहाँ नियुक्त किया जाना है।

कार्यकाल

- **कार्यकाल** - राष्ट्रपति के **प्रसादपर्यंत 5 वर्ष**।
 - उनसे सामान्य पाँच साल से अधिक समय तक रहने का अनुरोध किया जा सकता है, जब तक कि उनका **प्रतिस्थापन** नहीं हो जाता।
- **स्थानांतरण** - राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में **स्थानांतरित** भी कर सकता है।
- **त्यागपत्र** - राज्यपाल **राष्ट्रपति** को पत्र लिखकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है।
- **अप्रत्याशित परिस्थितियाँ - संविधान** में कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि राज्यपाल की मृत्यु, राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय उचित समझे, कर सकते हैं (अनुच्छेद 160)।
- **राजस्थान HC** ने फैसला सुनाया है कि **राज्यपाल** की शक्तियाँ अस्थायी रूप से **HC** के **मुख्य न्यायाधीश** को सौंपी जा सकती हैं।

राज्यपाल कार्यालय की शर्तें

- **संसद** या **राज्य विधानमंडल** का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि वह है, तो राज्यपाल के रूप में शामिल होने से पहले अपनी सीट खाली करनी होगी।
- **लाभ का कोई अन्य पद** धारण करने से प्रतिबंधित होता है।
- बिना किराए के सरकारी आवास।
- संसद द्वारा निर्दिष्ट परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार।
 - दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल, उनकी परिलब्धियों को **राष्ट्रपति द्वारा** निर्धारित अनुपात में विभाजित किया जाता है।
 - उनकी सेवा अवधि के दौरान उनकी **परिलब्धियों** और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी।
- संबंधित राज्य के **HC** के **मुख्य न्यायाधीश**, या उनकी अनुपस्थिति में, उस अदालत के सबसे **वरिष्ठ न्यायाधीश** द्वारा प्रदान की गई **शपथ** या प्रतिज्ञान लेना चाहिए।

वेतन

- राज्य की संचित निधि से **350000** रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है।
- किराए से मुक्त आधिकारिक निवास और अन्य भत्तों के हकदार।
- **राज्य विधानमंडल** के मत के अधीन नहीं है।

राज्यपाल को उन्मुक्ति

संविधान राज्यपाल को कुछ छूट प्रदान करता है, जैसे कि

- **अनुच्छेद 361** - अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या ऐसी शक्तियों और जिम्मेदारियों के प्रयोग और प्रदर्शन में किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- उनके कार्यकाल के दौरान
 - किसी भी अदालत में कोई **आपराधिक** कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती है।
 - किसी भी अदालत द्वारा राज्यपाल की **गिरफ्तारी** या **कारावास** की कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है।
- एक राज्यपाल के खिलाफ **सिविल कार्यवाही** जिसमें राहत का अनुरोध किया गया है, **अदालत** में लाया जा सकता है लेकिन जब राज्यपाल अपने पद पर कार्यरत होता है तब दो महीने बाद **लिखित** रूप में पर्याप्त नोटिस दिए जाने के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है।

राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य

कार्यकारी शक्तियाँ

- राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रभारी - संविधान के अनुरूप, वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है।
- यह उन सभी विषयों पर लागू होता है जिन पर राज्य विधानमंडल का विधायी अधिकार होता है।
- समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर राष्ट्रपति के कार्यकारी अधिकार के अधीन।
- राज्य सरकार के सभी **कार्यकारी** उपाय उनके नाम पर किये जाते हैं।
- उनके नाम से जारी और कार्यान्वित किए गए **आदेशों** और **निर्देशों** के प्रमाणीकरण के लिए स्थापित प्राधिकरण।
- सरकारी कार्यों के कुशल संचालन और **मंत्रियों** के बीच जिम्मेदारियों के वितरण के लिए मानक स्थापित करता है।

कुछ राज्यों के संबंध में शक्तियाँ

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा | 94वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2006 | जनजातीय देखरेख के लिए एक मंत्री की नियुक्ति सुनिश्चित करना। |
| असम | छठी अनुसूची | आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन |

नियुक्ति और संरक्षण अधिकार

- राज्य के **महाधिवक्ता**
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य (केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है)
- राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग (**अनुच्छेद 243K (243I)**)
 - प्रशासनिक मामलों और विधायी उपायों के संबंध में राज्य के **CM** से जानकारी मांग सकते हैं।
 - एक राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने और राष्ट्रपति शासन लगाने पर सुझावों के साथ राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है
 - राज्य विश्वविद्यालयों के **कुलाधिपति** के रूप में कार्य करता है।
 - राज्यपाल के प्रसादपर्यंत राज्य के **मंत्री** पद धारण करते हैं।
 - पुनर्विचार** के लिए किसी भी विषय को राज्य **मंत्रिपरिषद्** के पास भेज सकते हैं।
 - राज्य के प्रशासन और विधायी उपायों से संबंधित **मंत्रिपरिषद्** के किसी भी निर्णय के साथ-साथ सरकार द्वारा अनुरोधित किसी भी जानकारी की आपूर्ति करने के लिए राज्यपाल को रिपोर्ट करना **मुख्यमंत्री** की जिम्मेदारी है।

विधायी शक्तियाँ

- राज्य के निचले सदन के लिए एक सदस्य और राज्य के उच्च सदन के लिए कुछ सदस्यों को **मनोनीत** करना।
 - राज्य **विधानसभा** में **एंग्लो-इंडियन** समुदाय का एक सदस्य, यदि उस निकाय में उनका प्रतिनिधित्व कम है।
 - राज्य **विधान परिषद्** के सदस्यों की कुल संख्या का छठा भाग।
- राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुला सकता है, एक या दोनों सदनों का **सत्रावसान** कर सकता है या विधानसभा को **भंग** कर सकता है।
- राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों को अकेले या संयुक्त रूप से संबोधित करता है।
 - प्रत्येक नए सत्र की शुरुआत में और विधानसभा के **आम चुनाव** के तुरंत बाद भाषण देता है, जिसमें वह आने वाले वर्ष के लिए अपनी सरकार की रणनीति तैयार करता है।
- राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के साथ **संवाद** कर सकता है।

- कानून बनने से पहले, राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित प्रत्येक विधेयक को राज्यपाल की सहमति प्राप्त करना जरुरी होता है।
- राज्यपाल कर सकता हैं-
 - वह विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है;
 - अनुमति रोक सकता है; या
 - वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। यदि यह
 - अल्ट्रा-वायर्स, यानी संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो।।
 - डीपीएसपी का विरोध करने वाले हो।।
 - देश के व्यापक हित के खिलाफ हो।।
 - गंभीर राष्ट्रीय महत्व का हो।।
 - संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से सम्बंधित हो।।
 - यदि वह धन विधेयक नहीं है तो वह इसे विधानमंडल को वापस कर सकता है। पुनर्विचार के लिए, आंशिक या पूर्ण रूप से परिवर्तन और संशोधन का सुझाव दे सकता है।
 - लेकिन ऐसे विधेयकों को जब विधायिका द्वारा फिर से पारित किया जाता है तो उन्हें राज्यपाल की सहमति प्राप्त होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि राज्यपाल किसी विधेयक को दूसरी बार राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 200) द्वारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति को रोक नहीं सकता है।
- राज्य विधानमंडल में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
 - राज्य लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 323)
 - राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243(1))
 - नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (अनुच्छेद 151)
- चुनाव आयोग की सिफारिश पर विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विषय को हल कर सकता है यदि उस व्यक्ति के चुनाव का उसके राज्य में किसी मतदाता या मतदाताओं द्वारा याचिका के माध्यम से विरोध किया जाता है (अनुच्छेद 192)।

वित्तीय शक्तियाँ

- कोई भी धन विधेयक या वित्तीय विधेयक राज्यपाल की सिफारिशों के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है।
- उनके सुझाव पर ही विधानसभा में अनुदान के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
- राज्य विधानमंडल को वार्षिक बजट तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें वर्ष के लिए अपेक्षित राजस्व और व्यय के साथ-साथ राज्य के लिए अनुपूरक बजट शामिल हैं।
- अनियोजित व्यय की स्थिति में, राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से विधायिका द्वारा अनुमोदन लंबित रहने तक अग्रिम भुगतान कर सकता है।
- वह हर पाँच साल में पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना करता है।

न्यायिक शक्तियाँ

- **क्षमा करने की शक्ति (अनुच्छेद 161)** - राज्य से संबंधित कानूनों के दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत और दंड की छूट प्रदान कर सकता है, साथ ही निलंबित कर सकता है, और सजा कम कर सकता है।

राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बीच अंतर

| राष्ट्रपति | राज्यपाल |
|---|---|
| मौत की सजा बदल सकते हैं। | नहीं बदल सकते। |
| कोर्ट-मार्शल द्वारा लगाए गए दंड को क्षमा कर सकते हैं। | इस तरह के दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। |
| केंद्रीय कानूनों के तहत किसी भी दोषी को क्षमा करने की शक्ति है। | राज्य के कानूनों के तहत दोषी को क्षमा करने की शक्ति है। |

- न्यायिक नियुक्ति-** राष्ट्रपति राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल से परामर्श करता है।
 - राज्य उच्च न्यायालयों की सहायता से जिला न्यायाधीश का नामांकन, पदस्थापन और पदोन्तति करता है।
 - राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद, जिला न्यायाधीशों के अलावा राज्य की न्यायिक सेवा के लिए लोगों का चयन करता है।

राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- अनुच्छेद 213 -** राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों के सत्र में नहीं होने पर **अध्यादेश** जारी कर सकता है। इसमें कानून की ताकत है।
- अध्यादेश जारी कर सकता है** जब वह संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जहाँ तकाल कार्बवाई की आवश्यकता है।
 - उन अध्यादेशों को प्रख्यापित करने से निषिद्ध है, जिन्हें राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है या जिन्हें राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया जाना है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त कर **अध्यादेश** जारी कर सकते हैं।
- राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश विधानमंडल की पुनः सभा के छः सप्ताह बाद तक लागू नहीं होता है, जब तक कि पहले अनुमोदित न हो।
 - किसी अध्यादेश के समाप्त होने से पहले किसी भी समय उसे वापस ले सकते हैं।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों में अंतर

| राष्ट्रपति | राज्यपाल |
|---|---|
| केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है। | केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। |
| संसद के अधिनियम के समान प्रभावी | राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान प्रभावी। |
| संसद की विधायी सीमाओं से परे अमान्य | राज्य विधायिका की विधायी सीमाओं से परे अमान्य |
| प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले COM की सलाह पर ही अध्यादेश जारी या वापस ले सकते हैं। | राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले राज्य के COM की सलाह पर ही अध्यादेश ला सकता है या वापस ले सकता है। |
| संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उसे उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। | विधानसभा या राज्य विधायिका के दोनों सदनों (द्विसदनीय विधायिका के मामले में) के सामने रखा जाना चाहिए जब यह फिर से इकट्ठा हो। |

आपातकालीन शक्तियाँ

- राष्ट्रपति को रिपोर्ट करें जब भी उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार **संविधान** के प्रावधानों (अनुच्छेद 356) के अनुसार नहीं चल सकती है, जिससे राष्ट्रपति को राज्य के सरकारी कार्यों (राष्ट्रपति शासन) के सभी या कुछ हिस्से को संभालने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।
 - "राज्य में केंद्र सरकार का एजेंट" बन जाता है।
 - वह **प्रशासन** को अपने हाथों में लेता है और **सिविल सेवा** की सहायता से राज्य का प्रशासन करता है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

- राज्यों में संवैधानिक लोकतंत्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

राज्यपाल के पास निम्नलिखित संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं

- राष्ट्रपति के विचार के लिए **विधेयक** आरक्षित करना।
- राष्ट्रपति शासन** की सिफारिश करना।
- एक सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में कार्य करता है।
- अनुसूची VI के तहत, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम द्वारा खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस से प्राप्त होने वाली जनजातीय जिला परिषद् को रॉयल्टी का भुगतान निर्धारित करता है।
- मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों की जानकारी प्राप्त करना।

राज्यपाल के पास निम्नलिखित परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियाँ हैं

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना** - जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है या जब उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है।
- मंत्रि परिषद् की बर्खास्तगी** - जब वह राज्य विधानसभा के विश्वास को साबित नहीं कर सकती है।
- राज्य विधानसभा का विघटन यदि **मंत्रि परिषद्** ने अपना बहुमत खो दिया है।

राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राज्यपाल के पास निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियाँ हैं

- महाराष्ट्र** - विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग विकास बोर्ड स्थापित करना। (अनुच्छेद 371)
- गुजरात** - सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग-अलग विकास बोर्ड स्थापित करना। (अनुच्छेद 371)
- नागालैंड** - नागा हिल्स- त्वेनसांग क्षेत्र में आंतरिक अशांति के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए (अनुच्छेद 371A)
- असम** - जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (अनुच्छेद 371B)
- मणिपुर** - राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन। (अनुच्छेद 371C)
- आंध्र प्रदेश** का क्षेत्रीय विकास (अनुच्छेद 371D)
- सिक्किम** - शांति के लिए और आबादी के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए। (अनुच्छेद 371F)
- अरुणाचल प्रदेश** - राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना। (अनुच्छेद 371J)
- कर्नाटक** - हैदराबाद- क्षेत्र का विकास। (अनुच्छेद 371J, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 द्वारा जोड़ा गया)

MP के राज्यपाल

| क्र. सं. | नाम | अवधि |
|----------|---|--------------------------|
| 1 | श्री भोगराजू पट्टाभि सीतारमैया | 01.11.1956 से 13.06.1957 |
| 2 | पद्म विभूषण श्री हरि विनायक पाटस्कर | 14.06.1957 से 10.02.1965 |
| 3 | श्री क्यासम्बल्ली चेंगलराव रेड्डी | 11.02.1965 से 02.02.1966 |
| 4 | न्यायमूर्ति पी. वी. दीक्षित (कार्यरत) | 03.02.1966 से 09.02.1966 |
| 5 | श्री क्यासम्बल्ली चेंगलराव रेड्डी | 10.02.1966 से 07.03.1971 |
| 6 | श्री सत्यनारायण सिंहा | 08.03.1971 से 13.10.1977 |
| 7 | श्री निरंजन नाथ वांचू | 14.10.1977 से 16.08.1978 |
| 8 | श्री चेप्पुदीरा मुथाना पूनाचा | 17.08.1978 से 29.04.1980 |
| 9 | डॉ. भगवत दयाल शर्मा | 30.04.1980 से 25.05.1981 |
| 10 | न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह (अभिनय) | 26.05.1981 से 09.07.1981 |
| 11 | डॉ. भगवत दयाल शर्मा | 10.07.1981 से 20.09.1983 |
| 12 | न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह (कार्यवाहक) | 21.09.1983 से 07.10.1983 |
| 13 | डॉ. भगवत दयाल शर्मा | 08.10.1983 से 14.05.1984 |
| 14 | श्री के. एम. चांडी | 15.05.1984 से 30.11.1987 |
| 15 | न्यायमूर्ति एन. डी. ओझा (अभिनय) | 01.12.1987 से 29.12.1987 |
| 16 | श्री के. एम. चांडी | 30.12.1987 से 30.03.1989 |
| 17 | श्रीमती सरला ग्रेवाल (पहली महिला) | 31.03.1989 से 05.02.1990 |
| 18 | श्री कुंवर महमूद अली खान | 06.02.1990 से 23.06.1993 |
| 19 | डॉ. मो. शफी कुरैशी | 24.06.1993 से 21.04.1998 |
| 20 | डॉ. भाई महावीर | 22.04.1998 से 06.05.2003 |
| 21 | श्री राम प्रकाश गुप्ता | 07.05.2003 से 01.05.2004 |
| 22 | श्री कृष्ण मोहन सेठ (अभिनय) | 02.05.2004 से 29.06.2004 |
| 23 | डॉ. बलराम जाखड़ | 30.06.2004 से 29.04.2009 |

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 24 | श्री रामेश्वर ठाकुर | 30.06.2009 से 07.09.2011 |
| 25 | श्री राम नरेश यादव | 08.09.2011 से 07.09.2016 |
| 26 | श्री ओम प्रकाश कोहली (अतिरिक्त प्रभार) | 08.09.2016 से 23.01.2018 |
| 27 | श्रीमती आनंदीबेन पटेल | 23.01.2018 से 29.07.2019 |
| 28 | स्व. श्री लालजी टंडन | 29.07.2019 से 21.06.2020 |
| 29 | श्रीमती आनंदीबेन पटेल | 01.07.2020 से 08.07.2021 |
| 30 | मंगुभाई पटेल | 08.07.2021 से वर्तमान तक |

महत्वपूर्ण तथ्य

| तथ्य | व्यक्ति |
|---|--|
| अब तक राज्यपाल के रूप में सेवारत व्यक्तियों की कुल संख्या | 28 |
| कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति के अवसरों की संख्या | 06 |
| राजभवन के बाहर एकमात्र राज्यपाल ने शपथ ली। | डॉ. बी. पी. सीतारमैया (मिंटो हॉल में शपथ ली) |
| नियुक्ति पर सबसे कम उम्र के राज्यपाल | श्रीमती सरला ग्रेवाल (61 वर्ष) |
| नियुक्ति पर सबसे ज्यादा उम्र के राज्यपाल | श्री राम नरेश यादव (83 वर्ष) |
| राज्य में पैदा हुए एकमात्र राज्यपाल | श्री एन. एन. वांचू (सतना) |
| वर्तमान भारत के बाहर पैदा हुए एकमात्र राज्यपाल | डॉ. भाई महावीर (लाहौर) |
| सार्वजनिक उपाधि प्राप्त राज्यपाल | श्री एच. वी. पाटस्कर (पद्म विभूषण) |
| सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल | पद्म विभूषण श्री एच. वी. पाटस्कर (7 साल 7 महीने 27 दिन) |
| सबसे कम समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल | डॉ. बी. पी. सीतारमैया (7 महीने 12 दिन) |
| सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले राज्यपाल | श्री ओ.पी. कोहली (16 महीने 14 दिन) |
| सबसे कम समय तक कार्य करने वाले राज्यपाल | जस्टिस जी. पी. सिंह (6 दिन) |

| | |
|--|---|
| सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम राज्यपाल | श्री एन.एन. वांचू |
| पहली महिला राज्यपाल | श्रीमती सरला ग्रेवाल |
| MP में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल | श्री एस.एन. सिन्हा |
| चार्टर्ड एकाउंटेंसी योग्यता वाले गवर्नर | श्री रामेश्वर ठाकुर |
| राज्यपाल जो एक चिकित्सक थे। | डॉ. बी. पी. सीतारमैया |
| राज्यपाल जो हिंदी नहीं जानते थे। | श्री के.सी. रेण्डी |
| राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मरते हो गयी। | श्री आर. पी. गुप्ता |
| राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। | <p>कुल - 09</p> <ul style="list-style-type: none"> • श्री एन.एन. वांचू (केरल) • श्री सी. एम. पूनाचा (ओडिशा) • डॉ. बी. डी. शर्मा (ओडिशा) • श्री के.एम. चांडी (गुजरात) • डॉ. मोहम्मद शफी कुरैशी (बिहार) • डॉ. बलरामजाखड़ (गुजरात) • श्री रामेश्वर ठाकुर (ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) • श्रीमती राम नरेश यादव • श्रीमती आनंदीबेन पटेल (छत्तीसगढ़) • श्री लाल जी टंडन (बिहार) |
| राज्यपाल जो 3 अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। | <p>श्री रामेश्वर ठाकुर</p> <ul style="list-style-type: none"> • ओडिशा • आंध्र प्रदेश • कर्नाटक |
| राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। | <p>कुल - 05</p> <ul style="list-style-type: none"> • श्री के.सी. रेण्डी (मैसूर) • श्री सी. एम. पूनाचा (कुर्ग) • डॉ. बी. डी. शर्मा (हरियाणा) • श्री आर. पी. गुप्ता (उ.प्र.) • श्री राम नरेश यादव (उ.प्र.) |
| राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं। | <p>कुल - 03</p> <ul style="list-style-type: none"> • श्री सी. एम. पूनाचा <ul style="list-style-type: none"> ◦ राज्यपाल - ओडिशा ◦ मुख्यमंत्री - कुर्ग (मैसूर) • डॉ. बी. डी. शर्मा <ul style="list-style-type: none"> ◦ राज्यपाल - ओडिशा ◦ मुख्यमंत्री - हरियाणा • श्रीमती आनंदीबेन पटेल <ul style="list-style-type: none"> ◦ राज्यपाल (कार्यवाहक) - छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री - गुजरात |
| एकमात्र राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। | डॉ. बलराम जाखड़ (7वीं और 8वीं लोकसभा) |

| | |
|---|---|
| राज्यपाल जिन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार मिला। | श्रीमती आनंदी बेन पटेल |
| राज्यपालों की संख्या जो संविधानसभा के सदस्य थे। | कुल - 04 <ul style="list-style-type: none"> • डॉ. बी. पी. सीतारमैया • श्री एच. वी. पाटस्कर • श्री के.सी. रेड्डी • श्री सी. एम. पूनाचा |
| राज्यपाल जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। | कुल - 04 <ul style="list-style-type: none"> • डॉ. बी. पी. सीतारमैया • डॉ. बलराम जाखड़ • श्री राम नरेश यादव • श्रीमती आनंदीबेन पटेल |
| राज्यपाल जिनको अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली। | श्रीमती एस. ग्रेवाल (ब्रिटिश काउंसिल, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए) |

विधानसभा

संघटन

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि विधानसभा का निर्माण करते हैं।
- अधिकतम संख्या - 500
- न्यूनतम संख्या - राज्य की जनसंख्या के आधार पर 60

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

- संसद के सीधे चुनाव के उद्देश्य से भौगोलिक सीटों में विभाजित इस तरह से किया गया है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे दी गई सीटों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में एक जैसा हो।

एससी (SC) और एसटी (ST) के लिए सीटों का आरक्षण

- जनसंख्या अनुपात के आधार पर।
- 2009 के 95वें संशोधन अधिनियम के तहत आरक्षण, इसमें दिसम्बर, 2019 में संशोधन किया गया है तथा इसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्संर्मायोजन

- संसद के पास इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 के अनुसार राज्य विधानसभा को आवंटित सीटों का 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर पुनः आवंटन किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या 231 (230 निर्वाचित + 1 मनौनीत) है, जिसमें अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सीटें आरक्षित की गई हैं।
- मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था, जिसे 5 मार्च, 1957 को भंग कर दिया गया था।
- इसकी पहली और अंतिम बैठकें क्रमशः 17 दिसंबर, 1956 और 17 जनवरी, 1957 को संपन्न हुईं।
 - दूसरी विधानसभा का गठन 1 अप्रैल, 1957 को हुआ था, जिसे 7 मार्च, 1962 को भंग कर दिया गया था।

अवधि

- अवधि - 5 वर्ष, आम चुनावों के बाद इसकी पहली बैठक की तारीख से।
- विघटन
 - स्वचालित - 5 वर्ष की समाप्ति
 - राज्यपाल - किसी भी समय विधानसभा भंग कर सकते हैं और नए सिरे से चुनाव करा सकते हैं।
- आपातकाल - राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए (किसी भी अवधि के लिए) शर्तों को बढ़ाया जा सकता है।
 - विस्तार की अवधि - आपातकाल समाप्त होने के बाद छः महीने की अवधि से अधिक जारी नहीं रखा जा सकता है।
- आपातकाल के निरसन के बाद छः महीने के भीतर विधानसभा को फिर से चुना जाना चाहिए।

राज्य विधानमंडल की सदस्यता

योग्यता

भारत के संविधान के अनुसार

- वह एक **भारतीय नागरिक** होना चाहिए।
- उसे इस उद्देश्य के लिए **चुनाव आयोग** द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए।
 - **भारतीय संविधान** के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा।
 - भारत की **संप्रभुता** और **क्षेत्रीय अखंडता** की रक्षा के लिए।
- विधानसभा के मामले में, उसकी आयु कम से कम **25 वर्ष** होनी चाहिए।
- उसे **संसद** द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा।

अयोग्यताएँ

संविधान के अनुसार- यदि वह है -

- केंद्र या राज्य सरकार में **लाभ** कमाने की स्थिति में (जब तक कि एक मंत्री या राज्य विधायिका द्वारा छूट प्राप्त अन्य पद के रूप में),
- **विकृत दिमाग (पागल)** का और एक अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है,
- एक अनुमोदित **दिवालिया**,
- भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी **विदेशी राज्य** की **नागरिकता** प्राप्त की है या किसी **विदेशी राज्य** के प्रति निष्ठा की स्वीकृति के अधीन है।
- **संसद** द्वारा पारित किसी भी **कानून** के तहत अयोग्य हो।

शपथ या पुष्टि

राज्य विधानमंडल का एक सदस्य शपथ लेता है-

- भारत के **संविधान** के प्रति सच्ची आस्था और **निष्ठा** रखना।
- भारत की **संप्रभुता** और **अखंडता** को बनाए रखने के लिए।
- अपने कार्यालय के कर्तव्य का **ईमानदारी** से निर्वहन करने के लिए।
- यदि वह **शपथ** नहीं लेता है: वह **मतदान** नहीं कर सकता और सदन की **कार्यवाही** में भाग नहीं ले सकता और राज्य विधायिका के **विशेषाधिकारों** और **उन्नुक्ति** के योग्य नहीं होता है।

पदों की रिक्तता

- **अयोग्यता** - यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य पर कोई भी **अयोग्यता** लागू होती है, तो उसकी सीट खाली हो जाती है।
- **इस्तीफा**- एक सदस्य स्थिति के आधार पर **विधान परिषद्** के **अध्यक्ष** या **विधानसभा** के **अध्यक्ष** को लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। जब इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है, तो **सीट** खाली हो जाती है।
- **अनुपस्थिति** - राज्य विधानमंडल के एक सदन को किसी सदस्य की सीट को खाली घोषित करने का अधिकार है यदि वह बिना अनुमति के **साठ दिनों** की अवधि के लिए अपनी सभी बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है।
- **अन्य मामले** - राज्य विधानमंडल के एक सदस्य को दो सदनों में से एक से **इस्तीफा** देना चाहिए।
 - यदि उसका चुनाव न्यायालय द्वारा **अवैध** माना जाता है,
 - उसे **सदन** द्वारा **निष्कासित** कर दिया जाता है,
 - वह **राष्ट्रपति** या **उपाध्यक्ष** के पद के लिए चुने जाते हैं,
 - यदि वह किसी राज्य के **राज्यपाल** के पद पर नियुक्त हो जाता है।

राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी

विधानसभा अध्यक्ष

- **चुनाव - अध्यक्ष** का चुनाव विधानसभा के **सदस्यों** में से होता है।
- **अवधि** - आमतौर पर, अध्यक्ष **विधानसभा** की अवधि तक कार्य करता है। हालाँकि, निम्नलिखित तीन स्थितियों में से किसी में भी, वह अपना कार्यालय जल्द ही खाली कर देता है-
 - यदि वह **विधानसभा** का **सदस्य** नहीं रहता है।
 - यदि वह **डिएटी स्पीकर** को लिखित में **इस्तीफा** दे देता है।
 - यदि उसे विधानसभा के सदस्यों के **बहुमत** से मतदान के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटा दिया जाता है। इस तरह का प्रस्ताव **14 दिनों** के नोटिस के बाद ही पेश किया जा सकता है।

अध्यक्ष की शक्तियाँ

- वह सभा को व्यवस्थित रखता है और कार्य करने तथा गतिविधियों को विनियमित करने के लिए मर्यादा बनाए रखता है। यह उनकी मुख्य जिम्मेदारी है, और इस मामले पर उनका अंतिम कहना है।
- वह अंतिम मध्यस्थ है-
 - **भारतीय संविधान** के प्रावधान।
 - **विधानसभा** की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम।
 - विधानसभा के भीतर **विधायी नियम**।
- **गणपूर्ति** के अभाव में वह सभा को **स्थगित** या **निलम्बित** करता है।
- पहले मामले में, वह **मतदान** नहीं करता है। बराबरी की स्थिति में वह **निर्णायक वोट** डाल सकता है।
- सदन के **नेता** के अनुरोध पर, वह सदन की **गुप्त बैठक** को अधिकृत कर सकता है।
- वह यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक **धन विधेयक** है या नहीं, और उसका निर्णय निश्चित है।
- वह तय करता है कि **दसवीं अनुसूची** के प्रावधानों के तहत विधानसभा के सदस्य को **दलबदल** के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं।
- वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष को चुनता है और उनके कार्यों की देखरेख करता है।
- **कार्य सलाहकार समिति**, **नियम समिति** और **सामान्य प्रयोजन समिति** सभी की **अध्यक्षता** उनके द्वारा की जाती है।

विधानसभा के उपाध्यक्ष

चुनाव- विधानसभा द्वारा अपने **सदस्यों** में से ही चुना जाता है।

अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद उनका चुनाव होता है।

कार्यकाल - स्पीकर की तरह, डिएटी स्पीकर आमतौर पर **विधानसभा** के **कार्यकाल** तक पद पर बना रहता है।

- वह निम्नलिखित तीन मामलों में से किसी एक में अपना पद पहले भी खाली कर देता है-
 - यदि वह **विधानसभा** का सदस्य नहीं रहता है।
 - यदि वह **स्पीकर** को लिखकर **इस्तीफा** दे देता है।
 - यदि उसे विधानसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के **बहुमत** से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है।
 - ऐसा प्रस्ताव **14 दिन** की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है।

शक्तियाँ और कर्तव्य

- जब **अध्यक्ष** का पद रिक्त होता है, तो उपाध्यक्ष उन जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है।
- जब **अध्यक्ष** विधानसभा की बैठक में भाग लेने में असमर्थ होता है, तो यह कार्य करता है।
- उसके पास दोनों स्थितियों में अध्यक्ष के सभी अधिकार हैं।
- अध्यक्ष का एक **पैनल** सदस्यों में से **अध्यक्ष** द्वारा **मनोनीत** किया जाता है।

- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उनमें से कोई भी सभा की **अध्यक्षता** कर सकता है।
- अध्यक्षता करते समय, उसके पास **स्पीकर** के समान शक्तियाँ होती हैं।
- वह नए अध्यक्ष पैनल की नियुक्ति होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष

| क्र.सं | नाम | अवधि |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | पंडित कुंजीलाल दुबे | 1 नवम्बर 1956 – 1 जुलाई 1957 |
| 2. | पंडित कुंजीलाल दुबे | 2 जुलाई 1957 – 26 मार्च 1962 |
| 3. | पंडित कुंजीलाल दुबे | 27 मार्च 1962 – 7 मार्च 1967 |
| 4. | श्री काशीप्रसाद पाण्डे | 24 मार्च 1967 – 24 मार्च 1972 |
| 5. | श्री तेजलाल टेंभेरे | 25 मार्च – 15 अगस्त 1972 |
| 6. | श्री गुलशेर अहमद | 16 अगस्त 1972 – 14 जुलाई 1977 |
| 7. | श्री मुकुंद सखाराम | 15 जुलाई 1977 – 2 जुलाई 1980 |
| 8. | श्री यजदत्त शर्मा | 3 जुलाई 1980 – 19 जुलाई 1983 |
| 9. | श्री रामकिशोर शुक्ला | 5 मार्च 1984 – 13 मार्च 1985 |
| 10. | श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला | 16 मार्च 1985 – 4 मार्च 1990 |
| 11. | प्रोफेसर बृजमोहन मिश्रा | 20 मार्च 1990 – 22 दिसम्बर 1993 |
| 12. | श्री श्रीनिवास तिवारी | 24 दिसम्बर 1993 – 1 फरवरी 1999 |
| 13. | श्री श्रीनिवास तिवारी | 2 फरवरी 1999 – 11 दिसम्बर 2003 |
| 14. | श्री ईश्वरदास रोहानी | 16 दिसम्बर 2003 – 4 जनवरी 2009 |
| 15. | श्री ईश्वरदास रोहानी | 7 जनवरी 2009 – 5 दिसम्बर 2013 |
| 16. | डॉ. सीताशरण शर्मा | 9 जनवरी 2014 – 7 जनवरी 2019 |
| 17. | एन.पी. प्रजापति | 8 जनवरी 2019 – 23 मार्च 2020 |
| 18. | जगदीश देवर्ग | 24 मार्च 2020 – 2 जुलाई 2020 |
| 19. | रामेश्वर शर्मा | 2 जुलाई 2020 – 21 फरवरी 2021 |
| 20. | गिरीश गौतम | 21 फरवरी 2021 – अब तक |

महत्वपूर्ण तथ्य

- पं कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले **अध्यक्ष** थे और वे सबसे लंबे समय तक कार्यालय में रहे।
- **विष्णु विनायक सरवटे** मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले **उपाध्यक्ष** थे।
- **भैरूलाल पाटीदार** सबसे लंबे समय तक **डिएटी स्पीकर** के पद पर रहे।

मध्य प्रदेश- विधानसभा हॉल

- मध्य प्रदेश विधानसभा का भवन **भोपाल (अरेरा हिल्स)** में स्थित है।
- इससे पहले 1909 ई. में मिंटो हॉल में बैठकें होती थीं। मिंटो हॉल का निर्माण **शाहजहाँ बेगम** ने करवाया था।
- नए विधानसभा भवन का निर्माण कार्य 14 सितंबर, 1984 को शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालीन **राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा** ने 03 अगस्त, 1996 को किया था।
- इस भवन का नाम **इंदिरा गाँधी विधानसभा** रखा गया, जिसके वास्तुकार **चार्ल्स कोरिया** थे।
- सभा के प्रवेश द्वार पर **जीवन वृक्ष** नामक एक विशाल चित्र चित्रित किया गया है, जिसमें राज्य के **ऐतिहासिक स्थलों** को प्रदर्शित किया गया है और इसके मुख्य द्वार पर **कुंड** की संरचना को उकेरा गया है। प्रवेश द्वार की दीवारों को प्रसिद्ध चित्रकार **जंगगढ़ सिंह** श्याम द्वारा चित्रित किया गया है।
- इस नए विधानसभा भवन को **वास्तुकला** के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध **आगा खान पुरस्कार** भी मिल चुका है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

संवैधानिक प्रावधान

- राज्य के निर्वाचित प्रमुख
- मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद-

| अनुच्छेद | प्रावधान |
|----------|---|
| 163 | राज्य COM के प्रमुख के रूप में राज्यपाल को सहायता और सलाह देना। |
| 164 | मुख्यमंत्री की नियुक्त राज्यपाल करेंगे। |
| 167(a) | राज्यपाल को राज्य के मामलों के प्रबंधन और विधायी उपायों से संबंधित सीओएम के सभी निर्णयों के बारे में बताएं बताता है। |
| 167(b) | राज्य के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक कानून के लिए राज्यपाल को कोई तथ्य या विचार प्रदान करता है। |
| 167(c) | किसी भी मद पर विचार करने के लिए सीओएम को प्रस्तुत करना जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया है। |

अवधि

- स्थिर नहीं, वह राज्यपाल के विवेक पर कार्य करता है।
- राज्यपाल द्वारा तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक वह विधायिका में बहुमत प्राप्त करता है (एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले, 1994 में एससी द्वारा शासित)।
- हालाँकि, यदि विधानसभा उन पर विश्वास खो देती है, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या राज्यपाल द्वारा बर्खास्तगी का सामना करना पड़ेगा।

वेतन और भत्ते

- राज्य विधायिका मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण करती है।
- वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में अपने वेतन और भत्तों के अलावा भत्ता, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएँ और अन्य लाभ प्राप्त करता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ

राज्य मंत्रिपरिषद् के संबंध में

राज्य मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष के रूप में-

- राज्यपाल को प्रस्ताव देता है कि किसे मंत्री के रूप में चुना जाए।
- मंत्रिस्तरीय विभागों का वितरण और फेरबदल करता है।
- असहमति के मामले में, मंत्री को पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं या राज्यपाल से उन्हें बर्खास्त करने का आग्रह कर सकते हैं।
- वह **COM** की बैठकों की अध्यक्षता करता है और निर्णयों में उसकी प्रमुखता होती है।
- वह सभी मंत्रियों के कार्यों का निर्देशन, देखरेख और आयोजन करता है।
- यदि वह इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो **सीओएम** स्वतः भंग हो जाता है।
 - दूसरी ओर, किसी अन्य मंत्री का इस्तीफा या मृत्यु, केवल एक रिक्ति पैदा करता है, जिसे **मुख्यमंत्री** भर सकते हैं या नहीं भी।

राज्यपाल के संबंध में

- राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित **सीओएम** के सभी निर्णयों के बारे में राज्य के **राज्यपाल** को सूचित करें।
- महाधिवक्ता, अध्यक्ष** और राज्य लोक सेवा सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण **अधिकारियों** के नामांकन पर **राज्यपाल** को सलाह देता है।

राज्य विधानमंडल के संबंध में

सदन के मुखिया के रूप में

- राज्यपाल को **राज्य विधानमंडल** के सत्र बुलाने और **सत्रावसान** करने की सलाह देता है।
- राज्यपाल को किसी भी समय **विधानसभा** को भंग करने की सिफारिश करना।
- सदन के पटल पर सरकार की **नीतियों** की घोषणा करना।

कार्य

- राज्य योजना बोर्ड** के **अध्यक्ष** के रूप में कार्य करता है।
- रोटेशन द्वारा, संबंधित **क्षेत्रीय परिषद्** के **उपाध्यक्ष** के रूप में कार्य करता है, एक समय में एक वर्ष के लिए पद धारण करता है।
- पीएम** की **अंतर-राज्य परिषद्** और **नीति आयोग** की **शासी परिषद्** के सदस्य।
- राज्य सरकार के **मुख्य प्रवक्ता**।
- संकट के समय में, राजनीतिक स्तर पर प्रमुख संकट प्रबंधक के रूप में कार्य करता है।
- लोगों के विविध समूहों के साथ बातचीत करता है और अन्य बातों के अलावा, उनके मुद्दों पर उनसे ज्ञापन प्राप्त करता है।
- सेवाओं के राजनीतिक नेता।

राज्यपाल के साथ संबंध

- अनुच्छेद 163-** सीओएम, जिसके अध्यक्ष के रूप में **मुख्यमंत्री** होता है, राज्यपाल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देता है, सिवाय इसके कि जब वह अपने विवेक से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर हो।
- अनुच्छेद 164 -** (a) **राज्यपाल मुख्यमंत्री** की सलाह पर अन्य **मंत्रियों** की नियुक्ति करेगा;
 (b) **मंत्री राज्यपाल** की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं।
 (c) सीओएम राज्य की विधानसभा के लिए **सामूहिक** रूप से जिम्मेदार होगा।
- अनुच्छेद 167 -** यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है-
 (a) राज्य के मामलों के प्रबंधन और **विधायी** उपायों से संबंधित **सीओएम** के सभी निर्णयों से राज्य के **राज्यपाल** को अवगत कराएं।
 (b) **राज्यपाल** को राज्य के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रासंगिक कानून के लिए कोई तथ्य या विचार प्रदान करेगा।
 (c) यदि **राज्यपाल** ऐसा निर्देश देता है, जिस पर एक मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन परिषद् द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो किसी भी वस्तु पर विचार करने के लिए **सीओएम** को अवगत करवाया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश (MP) के मुख्यमंत्रियों (CM) की सूची

| क्र.सं. | मुख्यमंत्रियों का नाम | कब से | कब तक | दल का नाम |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1. | पं. रविशंकर शुक्ला | 1 नवंबर, 1956 | 31 दिसंबर, 1956 | कांग्रेस |
| 2. | भगवंतराव मंडलोई | 1 जनवरी, 1957 | 30 जनवरी, 1957 | कांग्रेस |
| 3. | कैलाश नाथ काटजू | 31 जनवरी, 1957 | 14 अप्रैल, 1957 | कांग्रेस |
| 4. | कैलाश नाथ काटजू | 15 अप्रैल, 1957 | 11 मार्च, 1962 | कांग्रेस |
| 5. | भगवंतराव मंडलोई | 12 मार्च, 1962 | 29 सितंबर, 1963 | कांग्रेस |
| 6. | द्वारका प्रसाद मिश्रा | 30 सितंबर, 1963 | 8 मार्च, 1967 | कांग्रेस |
| 7. | द्वारका प्रसाद मिश्रा | 9 मार्च, 1967 | 29 जुलाई, 1967 | कांग्रेस |
| 8. | गोविंद नारायण सिंह | 30 जुलाई, 1967 | 12 मार्च, 1969 | कांग्रेस |
| 9. | राजा नरेश चंद्र सिंह | 13 मार्च, 1969 | 25 मार्च, 1969 | कांग्रेस |
| 10. | श्यामा चरण शुक्ला | 26 मार्च, 1969 | 28 जनवरी, 1972 | कांग्रेस |
| 11. | प्रकाश चंद्र सेठी | 29 जनवरी, 1972 | 22 मार्च, 1972 | कांग्रेस |
| 12. | प्रकाश चंद्र सेठी | 23 मार्च, 1972 | 22 दिसंबर, 1975 | कांग्रेस |
| 13. | श्यामा चरण शुक्ला | 23 दिसंबर, 1975 | 29 अप्रैल, 1977 | कांग्रेस |
| 14. | राष्ट्रपति शासन | 29 अप्रैल, 1977 | 25 जून, 1977 | |
| 15. | कैलाश चंद्र जोशी | 26 जून, 1977 | 17 जनवरी, 1978 | जनता पार्टी |
| 16. | वीरेंद्र कुमार सकलेचा | 18 जनवरी, 1978 | 19 जनवरी, 1980 | जनता पार्टी |
| 17. | सुंदरलाल पटवा | 20 जनवरी, 1980 | 17 फरवरी, 1980 | जनता पार्टी |